न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19B-1260.

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या–**240 / 2018–19**, राज्य बनाम मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19B-1260

केस का प्रकार–बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त वाहन के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–:आदेश:– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 443 / हि०शा०, दिनांक 04.02.2019 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव सदर थाना कांड संख्या– 593 / 2018 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19B-1260 के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित है कि– "इस कांड के वादी पु०स०अ०नि० उपेन्द्र शर्मा सदर थाना सहरसा के द्वारा दिनांक 18.05.2018 को समय करीब 22.00 बजे सशस्त्र बल सरकारी जीप द्वारा दिवा गस्ती के क्रम में अवैध शराब का भंडारण / बिक्री एवं परिचालन तथा सेवन करने वालों के विरूद्ध छापामारी / गिरफ्तारी हेतु थाना से प्रस्थान किये। गुप्त सूचना के आधार पर समय करीब 22.00 बजे सशस्त्र बल के कर्मियों के साथ समय 22.45 बजे सदर थाना अन्तर्गत मुहल्ला बटराहा चौक पहुँचा तो एक युवक को सामने की ओर से काफी तेजी के साथ मोटर साईकिल नं० बी०आर० 19 बी०– 1260 चलाते हुए आ रहा था जिसे रूकने कहा तो उक्त युवक मोटर साईकिल छोड़कर भागने का प्रयास किया, जिसे पैन्थर सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। जिससे पूछताछ किये जाने पर वो युवक अपना नाम पता इस प्रकार बताया 1. पवन कुमार झा पिता माधव झा, साकिन– बसौना, थाना– बनगांव, जिला– सहरसा बताया। कई व्यक्ति वहाँ एकत्रित हो गये जिनके सामने अपना तथा साथ पुलिसकर्मियों की जमा तलाशी देते हुए पकड़े गये पवन कुमार झा का विधिवत् तलाशी लिया तो पवन कुमार झा पिता माधव झा, साकिन– बसौना, थाना– बनगांव, जिला– सहरसा के कमर में फूलपेंट के निचे बायें तरफ छीपाकर रखा हुआ रॉयल स्टेग 180 एम०एल० शराब की 01 बोतल	

6

जिसपर FOR SALE HARYNA ONLY अंकित बरामद हुआ। कांड में गिरफ्तार विधि सम्मत् कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बरामद शराब रॉयल स्टेग 180 M.L. को विधिवत जांच हेतु उत्पाद मद्य निषेध निरीक्षक पटना कुम्हरार भेजा गया। मोटर साईकिल को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है।"

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19B-1260 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक माधव झा पिता– स्व दशरथ झा, साकिन– बसौना, थाना– सहरसा दिनांक 07.03.2020 को उपस्थित हुए। उनका कथन है कि वे जप्त मोटर साईकिल हीरो स्पेलंडर BR-19B-1260 के निबंधित मालिक हैं, जिससे संबंधित सारा कागजात उनके पास उपलब्ध है। आगे कहना है कि इस कांड के सूचक का आवेदन जो प्राथमिकी दर्ज करने का आधार है, का अवलोकन करने पर पाया जायेगा कि इनके जप्त किए गए मोटर साईकिल के किसी भी भाग से किसी भी तरह का शराब या आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मोटर साईकिल को जप्त करना या इसपर अधिहरण का मामला चलाया जाना न्यायोचित नहीं है।

वाहन मालिक का पुनः कहना है कि जप्त मोटर साईकिल के मुक्ति हेतु इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या– 17111/19 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 14.01.2020 को आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या– 17111/19, में पारित आदेश के आलोक में ही वे उपस्थित होकर अपना पक्ष रख रहे हैं।

वाहन मालिक के ओर से मुख्यतः इन्हीं तथ्यो के साथ सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या 17111/2019 में पारित आदेश की प्रति दाखिल कर जप्त मोटरसाईकिल को मुक्त करने हेतु आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त वाहन चालक के कमर से वाहन का सवारी करते समय अवैध शराब बरामद किया गया है। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, पुलिस अधीक्षक सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त वाहन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। चूँकि बरामद की गई शराब अत्यधिक मात्रा में नहीं है एवं उक्त शराब मोटरसाईकिल से

जप्त नहीं की गई है अपितु वाहन चलाने वाले व्यक्ति के कमर से प्राप्त हुई है। यह व्यक्ति उक्त वाहन का मालिक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त वाहन को अधिहरण करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19B-1260 को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित थानाध्यक्ष को मुक्ति आदेश निर्गत करें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 325/न्याया०, सहरसा, दिनांक 31 अगस्त, 2020।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– **प्रभारी** पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु **प्रेषित।**

प्रतिलिपिः– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
सहरसा।